

भारत सरकार  
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1262  
उत्तर देने की तारीख 28.07.2025

कला, संस्कृति और विरासत के विभिन्न रूपों को बढ़ावा देना

1262. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) लोक कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों के संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण के साथ-साथ देश की संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का व्यौरा क्या है;
- (ख) कर्नाटक में नाट्य कला की सभी विधाओं के लोक कलाकारों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही वित्तीय योजनाओं का व्यौरा क्या है और इससे कितने कलाकार लाभान्वित हुए हैं; और
- (ग) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कर्नाटक के लोक कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और कर्नाटक के पारंपरिक मेले और त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री  
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

- (क): लोक कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों के संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण के साथ-साथ देश की संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने सात क्षेत्रीय संस्कृतिक केंद्र (जेडीसीसी) स्थापित किए हैं जिनके मुख्यालय पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में स्थित हैं। ये जेडीसीसी अपने सदस्य राज्यों में नियमित रूप से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों और कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। जेडीसीसी अपने सदस्य राज्यों की संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों जैसे युवा प्रतिभावान कलाकार पुरस्कार, गुरु शिष्य परंपरा, रंगमंच कायाकल्प,

अनुसंधान और प्रलेखन, शिल्पग्राम, ऑक्टेव और राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का भी कार्यान्वयन करते हैं।

(ख): संस्कृति मंत्रालय गुरु-शिष्य परम्परा (रेपर्टरी अनुदान) स्कीम चलाता है जिसके अंतर्गत प्रदर्शन कला की सभी विधाओं जैसे संगीत समूह, नृत्य समूह, बाल रंगमंच सहित रंगमंच समूह, संगीत मंडली आदि के लोक कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत कलाकार की आयु को वृद्धिगत रखते हुए गुरु (समूह के प्रमुख) के लिए सहायता राशि 15,000/- रुपए प्रति माह और शिष्य के लिए 2,000-10,000/- रुपए प्रति माह है।

संस्कृति मंत्रालय वरिष्ठ कलाकारों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक स्कीम भी संचालित करता है जिसके अंतर्गत कर्नाटक राज्य सहित देश के पात्र वरिष्ठ कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम का उद्देश्य 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन वृद्ध कलाकारों और विद्वानों को 6,000/- रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनकी वार्षिक आय 72,000/- रुपए से अधिक नहीं है और जिन्होंने कला, साहित्य आदि के अपने विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लाभार्थी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, वित्तीय सहायता उसके/उसकी जीवन साथी को हस्तांतरित कर दी जाती है।

वर्ष 2024-25 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत कर्नाटक के 397 कलाकार लाभान्वित हुए हैं।

कर्नाटक दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एसजेडसीसी), तंजावुर (संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन) का एक सदस्य राज्य है जो अपने द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों और कार्यक्रमों के दौरान कर्नाटक राज्य के लोक कलाकारों को नियोजित करता है जिसके लिए कलाकारों को मानदेय, यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता, खानपान और आवास, स्थानीय परिवहन आदि का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, कर्नाटक के 716 कलाकार एसजेडसीसी, तंजावुर से लाभान्वित हुए हैं।

(ग): कर्नाटक सहित देश के पारंपरिक मेले-महोत्सवों को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति मंत्रालय एक स्कीम अर्थात् सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान स्कीम (सीएफपीजी) चलाता है जिसके अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों/सोसायटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को सेमिनार, सम्मेलन, अनुसंधान, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, संगोष्ठियां, नृत्य, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत, अधिकतम अनुदान 5.00 लाख रुपए है जिसे अपवादात्मक मामलों में 20.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

संस्कृति मंत्रालय अपने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (जेडसीसी) के माध्यम से देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव (आरएसएम) का आयोजन करता है जिसके अंतर्गत कर्नाटक राज्य सहित पूरे भारत से बड़ी संख्या में लोक कलाकारों को एक मंच प्रदान किया जाता है जो इन आयोजनों के दौरान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। अब तक, संस्कृति मंत्रालय द्वारा 14 राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव और 04 क्षेत्रीय स्तर के राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित किए जा चुके हैं।

संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और वैश्विक पटल पर भारत की छवि को समग्र रूप से संवर्धित करने के लिए "वैश्विक सहभागिता स्कीम" कार्यान्वित करता है। इस स्कीम का उद्देश्य भारतीय कला रूपों का अभ्यास करने वाले कलाकारों को 'भारत महोत्सव' के बैनर तले विदेशों में प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करना है। इस स्कीम के अंतर्गत, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक रंगमंच और कठपुतली, शास्त्रीय तथा पारंपरिक नृत्य, प्रयोगात्मक/समकालीन नृत्य, शास्त्रीय/अर्ध-शास्त्रीय संगीत, रंगमंच आदि जैसे विविध सांस्कृतिक क्षेत्रों के कलाकार विदेशों में 'भारत महोत्सव' में प्रदर्शन करते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने विदेशों में भारत महोत्सवों में प्रदर्शन के लिए विभिन्न कला रूपों के अंतर्गत कई कलाकारों/समूहों को पैनल में शामिल किया है।

\*\*\*\*\*